

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 — आश्विन 22, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक-08/चार/वि.स.उप निर्वाचन/24-मरवाही/2020/09. — विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही (अजजा) के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2020 हेतु एग्जिट पोल संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-576/एग्जिट/2020/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता. /—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

संख्या 576/एगजिट/2020/एसडीआर/खण्ड-II.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./67/2020 एवं दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./72/2020 के तहत घोषित बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और :

2. और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एगजिट पोल आयोजित करने और ऐसे एगजिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 3 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 06.00 बजे से 07 नवंबर, 2020 (शनिवार) को अपराह्न 06.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित बिहार के 1-वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र और 11 राज्यों (अनुलग्नक- I के अनुसार) की विधानसभाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एगजिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

हस्ता./—
(एन.टी. भूटिया)
सचिव.

अनुलग्नक-।

क्रम सं०	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	बिहार	1- बाल्मीकिनगर

क्रम सं०	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	छत्तीसगढ़	24- मरवाही (अ. ज. जा.)
2.	गुजरात	01-अबडासा
3.	गुजरात	61- सीबडी
4.	गुजरात	65- मोरबी
5.	गुजरात	94-धारी
6.	गुजरात	106- गढडा (अ. जा.)
7.	गुजरात	147- करजण
8.	गुजरात	173- डांग (अ.ज.जा.)
9.	गुजरात	181- कपराडा (अ.ज.जा.)
10.	हरियाणा	33- बरोदा
11.	झारखण्ड	10- दुमका (अ.ज.जा.)
12.	झारखण्ड	35- बेरमो
13.	कर्नाटक	136- सिरा
14.	कर्नाटक	154- राजाराजेश्वरीनगर
15.	मध्य प्रदेश	04- जीरा
16.	मध्य प्रदेश	05- सुमावली
17.	मध्य प्रदेश	6- मुरैना
18.	मध्य प्रदेश	7- दिमनी
19.	मध्य प्रदेश	8- अम्बाह (अ.जा.)

20.	मध्य प्रदेश	12-मेहगांव
21.	मध्य प्रदेश	13- गोहद (अ.जा.)
22.	मध्य प्रदेश	15-ग्वालियर
23.	मध्य प्रदेश	16- ग्वालियर पूर्व
24.	मध्य प्रदेश	19- इबरा (अ.जा.)
25.	मध्य प्रदेश	21- भाण्डेर (अ.जा.)
26.	मध्य प्रदेश	23- करेरा (अ.जा.)
27.	मध्य प्रदेश	24- पोहरी
28.	मध्य प्रदेश	28- बामोरी
29.	मध्य प्रदेश	32- अशोकनगर (अ.जा.)
30.	मध्य प्रदेश	34- मुंगावली
31.	मध्य प्रदेश	37- सुरखी
32.	मध्य प्रदेश	53- मलहरा
33.	मध्य प्रदेश	87- अनूपपुर (अ.ज.जा.)
34.	मध्य प्रदेश	142- सांची (अ.जा.)
35.	मध्य प्रदेश	161- म्यावरा
36.	मध्य प्रदेश	166- आगर (अ.जा.)
37.	मध्य प्रदेश	172- हाटपिपल्या
38.	मध्य प्रदेश	175- मांघाता
39.	मध्य प्रदेश	179- नेपालनगर (अ.ज.जा.)
40.	मध्य प्रदेश	202- बदनावर

41.	मध्य प्रदेश	211- सांवेर (अ.जा.)
42.	मध्य प्रदेश	226- सुवासरा
43.	मणिपुर	30- सिमोंग
44.	मणिपुर	34- वॉगिंग टेन्हा
45.	मणिपुर	22-बोंगोइ
46.	मणिपुर	51-सैतू(अ.ज.जा.)
47.	मणिपुर	60-सिंघाट(अ.ज.जा.)
48.	नागालैण्ड	14- दक्षिणी अंगामी-1 (अ.ज.जा.)
49.	नागालैण्ड	60- पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.)
50.	उड़ीसा	38- बालासौर
51.	उड़ीसा	102- तिरतोला (अ.जा.)
52.	तेलंगाना	41- हुम्बक
53.	उत्तर प्रदेश	40- नौगावां सादात
54.	उत्तर प्रदेश	65- बुनंदसहर
55.	उत्तर प्रदेश	95- टूंडसा(अ.जा.)
56.	उत्तर प्रदेश	162- बांगरमऊ
57.	उत्तर प्रदेश	218- घाटमपुर (अ.जा.)
58.	उत्तर प्रदेश	337- देवरिया
59.	उत्तर प्रदेश	367-मन्हनी

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 14th October, 2020

NOTIFICATION

No.576/EXIT/2020/SDR/Vol.II.— Whereas, the schedule for the House of the People of Bihar and Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh have been announced by the Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/67/2020, dated 29-9-2020 and No. ECI/PN/72/2020 dated 05-10-2020.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of any exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 6.00A.M on 3rd November, 2020 (Tuesday) and 6.30 PM on 7th November, 2020 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/67/2020 and No. ECI/PN/72/2020 dated 05-10-2020 from bye elections from 1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency of Bihar & 59 Assembly Constituencies (As per Annexure-I) of 11 States, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,

Sd./-
(N.T. BHUTIA)
Secretary.

Annexure-I

SL No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	Bihar	1- Valmiki Nagar

SL No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Chhattisgarh	24- Marwahi(ST)
2.	Gujarat	01- Abdasa
3.	Gujarat	61- Limbdi
4.	Gujarat	65- Morbi
5.	Gujarat	94- Dhari
6.	Gujarat	106- Gadhada (SC)
7.	Gujarat	147- Karjan
8.	Gujarat	173- Dangs (ST)
9.	Gujarat	181- Kaprada (ST)
10.	Haryana	33- Baroda
11.	Jharkhand	10- Dumka (ST)
12.	Jharkhand	35- Bermo
13.	Karnataka	136- Sira
14.	Karnataka	154- Rajarajeshwarinagar
15.	Madhya Pradesh	04- Joura
16.	Madhya Pradesh	5- Sumawali
17.	Madhya Pradesh	6- Morena
18.	Madhya Pradesh	7- Dimani
19.	Madhya Pradesh	8- Ambah (SC)
20.	Madhya Pradesh	12-Mehgaon
21.	Madhya Pradesh	13- Gohad (SC)
22.	Madhya Pradesh	15- Gwalior
23.	Madhya Pradesh	16- Gwarlior East
24.	Madhya Pradesh	19- Dabra(SC)
25.	Madhya Pradesh	21- Bhandar (SC)
26.	Madhya Pradesh	23- Karera (SC)
27.	Madhya Pradesh	24- Pohari
28.	Madhya Pradesh	28- Bamori

29.	Madhya Pradesh	32- Ashok Nagar (SC)
30.	Madhya Pradesh	34- Mungaoli
31.	Madhya Pradesh	37- Surkhi
32.	Madhya Pradesh	53- Malhara
33.	Madhya Pradesh	87- Anuppur (ST)
34.	Madhya Pradesh	142- Sanchi (SC)
35.	Madhya Pradesh	161- Biaora
36.	Madhya Pradesh	166- Agar (SC)
37.	Madhya Pradesh	172- Hatpipliya
38.	Madhya Pradesh	175- Mandhata
39.	Madhya Pradesh	179-Nepanagar (ST)
40.	Madhya Pradesh	202- Badnawar
41.	Madhya Pradesh	211- Sanwer (SC)
42.	Madhya Pradesh	226- Suwasra
43.	Manipur	30- Lilong
44.	Manipur	34-Wangjing Tentha
45.	Manipur	22-Wangoi
46.	Manipur	51-Saitu(ST)
47.	Manipur	60-Singhat(ST)
48.	Nagaland	14-Southern Angami-I (ST)
49.	Nagaland	60-Pungro-Kiphire (ST)
50.	Odisha	38-Balasore
51.	Odisha	102-Tirtol (SC)
52.	Telangana	41-Dubbak
53.	Uttar Pradesh	40-Naugawan Sadat
54.	Uttar Pradesh	65-Bulandshahr
55.	Uttar Pradesh	95-Tundla (SC)
56.	Uttar Pradesh	162-Bangermau .
57.	Uttar Pradesh	218-Ghatampur (SC)
58.	Uttar Pradesh	337-Deoria
59.	Uttar Pradesh	367-Malhani